न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :– 9/2024

जीसीएमएस नम्बर :– 2024/223

अनवान

1. रामेश्वरलाल पिता जीतमल ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. रतनलाल पिता जीतमल ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. जगदीशचन्द्र पिता जीतमल ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नर्बदा पुत्री रामलाल ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. शोभा पुत्री रामलाल ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4. डालचन्द्र पिता उदा ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5. रतनलाल पिता मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6. नारायणलाल पिता राधाकिशन ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7. प्रतिभा पुत्री राधाकिशन ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8. पुष्पादेवी पुत्री राधाकिशन ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9. शान्तिदेवी पत्नि राधाकिशन ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद मन्सूरी – प्रार्थी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1 पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 8/1/2026

1. पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण प्रार्थीगण व विपक्षीगण के पूर्वज खातेदार रामलाल, डालचन्द्र पिता उदा ब्राहम्ण व जीतमल, मांगीलाल पिता वद्री ब्राहम्ण व राधाकिशन पिता छोगा ब्राहम्ण के खातेदारी अधिकारी की साबिक आराजी संख्या 113/1च रकवा 1 वीघा 2 बिस्वा, साबिक खाता संख्या 599 पर दर्ज रेकार्ड थी। प्रमाण में नकल जमावन्दी संवत 2046 से 2049 पेश की है।
2. प्रार्थना पत्र कि कलम संख्या 1 में अंकित साबिक आराजीयात का रोटेशन जमाबन्दी जरिये सभी खातेदारो का नाम सही रूप से दर्ज हुआ आगे कि जमाबन्दी सम्वत् 2050 से 2053 में गलत इन्द्राज कर दिया व उसके पश्चात् कि जमाबन्दी में भी खातेदार रामलाल, डालचन्द्र,

सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ. रायपुर

पिता उदा ब्राहम्ण के बजाय जीतमल ब्राहम्ण दर्ज कर दिया तथा जीतमल, मांगीलाल पिता ब्रदी ब्राहम्ण का नाम हटाकर शेष वारीसो के नाम ही दर्ज किये गये जिसे पुनः साबिक जमाबन्दी अनुसार दर्ज कराकर दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है।

3. भूप्रबंध होने के दौरान ग्राम आशाहोली का भी भूप्रबंध हुआ जिससे साबिक आराजी संख्या 113/1च रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा के नवीन नम्बर 174 रकबा 0.24 हैक्टयर आचा कायम हुए प्रमाण में नवीन जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। भूप्रबंध अधिकारीयो व कर्मचारीयों ने प्रार्थीगण 6 के पूर्वजो की वल्दियत गलत रूप से रोटेशन जमाबन्दी अंकित कर दी है।

4. अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम आशाहोली की आराजी संख्या 174 रकबा 0.24 है0 जो खाता संख्या 674 पर दर्ज रेकार्ड है में प्रार्थीगण का नाम विरासत से रामेश्वर लाल, रतनलाल, जगदीश पिता जीतमल ब्राहम्ण व नर्बदा, शोभा पुत्री रामलाल ब्राहम्ण, डालचन्द्र पिता उदा ब्राहम्ण, रतनलाल पिता मांगीलाल ब्राहम्ण दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती हेतु तहसीलदार रायपुर के नाम आदेश फरमाया जावे।

5. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में विपक्षी संख्या 1 तहसीलदार रायपुर द्वारा जांच रिर्पोट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

6. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में अंकन किया किः—

   I. ग्राम आशाहोली के जमाबन्दी संवत 2046 से 2049 के खाता संख्या 459 साबिक खसरा संख्या 113/1च रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि खातेदार रामलाल, डालचन्द्र पिता उदा, जीतमल, मांगीलाल पिता बदरी, राधाकिशन पिता छोगा ब्राहम्ण दर्ज रेकार्ड थी जमाबन्दी की प्रति साथ संलग्न है।

   II. जमाबन्दी संवत 2050 से 2053 की जमाबन्दी पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई उसमें खाता संख्या 481 में खातेदार रामलाल डालचन्द्र पिता जीतमल, मांगीलाल पिता बदरी, राधाकिशन पिता छोगा ब्राहम्ण दर्ज किये जिसमें गत जमाबन्दी के मुकाबले रामलाल, डालचन्द के पिता उदा को विलोपित करते हुए जीतमल को पिता दर्ज कर दिया जो अशुद्व है। तथा मांगीलाल की विरासत से नामान्तरण संख्या 1411 दिनांक 21.08.1998 से रतनलाल पिता मांगीलाल मोहन बाई बेवा मांगीलाल का नाम दर्ज हुआ।

   III. इस प्रकार भू प्रबन्ध से पूर्व की जमाबन्दी संवत 2050 से 2053 की खाता संख्या 481 में हुई अशुद्वि जमाबन्दी संवत 2057 से 2076, 2059 से 2062, 2053 से 2066, 2067 से 2070, 2071 से 2074, 2075 से 2078 में भी रामलाल डालचन्द के पिता का नाम उदा के वजाय जीतमल दर्ज चला आ रहा है।

   IV. वर्तमान जमावन्दी संवत 2075 से 2078 की खाता संख्या 678 में दर्ज आराजी संख्या 174 रकबा 0.24 है0. किस्म रे.बी, जमावन्दी संवत 2046 से 2049 की खाता संख्या 459 के अनुसार सही रूप से निम्नानुसार है। रामलाल पुत्र उदा 1/4 ब्राहम्ण, डालचन्द पुत्र उदा

सहायक दस्तावेज
(एस.डी.ओ.) रायपुर

1/4 ब्राहम्ण, जीतमल पुत्र बद्री 1/6 ब्राहम्ण, रतनलाल पुत्र मांगीलाल 1/6 ब्राहम्ण, राधाकिशन पुत्र छोगा 1/6 ब्राहम्ण सा. देह खातेदार।

7. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध नवीन राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरता से विचार किया तो पाया कि तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न जमाबन्दी संवत 2046 से 2050 के साबिक खाता संख्या 459 में अंकित खसरा संख्या 113/1च में खातेदारो का नाम सही अंकन है परन्तु आगामी रोटेशन की जमाबंदी 2050 से 2053 की तैयार करते समय रामलाल, डालचन्द के पिता का नाम उदा को विलोपित कर दिया रामलाल, डालचन्द पिता जीतमल हो गया आगामी जमाबन्दी रोटेशन में नाम चलता रहा है जिसके कारण कालान्तर में खातेदारों के हिस्से भी प्रभावित हुए है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में केवल लिपिकीय त्रुटी के प्रकरणो का निर्णय किया जाता है। प्रार्थीगण वर्तमान में खातेदार नही है एवं खातेदारी की घोषणा धारा 136 के अन्तर्गत नही आता है। न्यायालय के स्वत संज्ञान से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के प्रकरण संख्या 38/1994 अनवान उदयराम आत्मज लालुजी जाट निवासी आशाहोली वगैरा बनाम उदा आत्मज देवा गाडरी निवासी आशाहोली वगैरा के निर्णय दिनांक 22.07.2002 के अनुसार " अब इसकी प्रकिया घोषणात्मक वाद के जरिए ही पूर्ण हो सकती है, क्योंकि फर्द बदर जैसी लघु प्रक्रिया द्वारा इतने लम्बे समय की त्रुटी सुधारना न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त के विपरीत होगा क्योंकि वर्तमान खातेदारों को सुने बिना उसका नाम हटाया जाना उचित नही होता है। " ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् विधिविरूद्व होने से खारीज किया जाता है कि प्रार्थीगण सक्षम धारा में न्यायालय के समक्ष घोषणा का वाद दायर कर राहत प्राप्त करने के लिए स्वंतत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 8/1/2026 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर, (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा